संख्या-37/2016/506/41-2016-16 यो0/16

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 19 मार्च, 2016

विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-गाजीपुर की 02 एवं जनपद चन्दौली की 01 योजनाओं के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-2335/6-1-1 (719)/2015, दिनांक 14-03-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-गाजीपुर की 02 एवं जनपद चन्दौली की 01 योजनाओं के लिये कालम-3 में अंकित कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कालम'-4 तथा 5 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0 119.51 लाख (रूपये एक करोड उन्नीस लाख इक्यावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 112.18 लाख (रूपये एक करोड बारह लाख अट्ठारह हजार मात्र) वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0	**जनपद गाजीपुर चन्दौली की योजनाएं**	**कार्यदायी संस्था**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**वित्तीय स्वीकृति**
-1-	**-2-**	**-3-**	**-4-**	**-5-**
1	जनपद-गाजीपुर की तहसील जमानिया के अन्तर्गत् ग्राम गहमर के पूर्वोत्तर दिशा गंगा नदी के दांये तट पर डीह बाबा सिद्धपीठ के ट्रैक फील्ड से गंगा नदी में उतरने हेतु पक्का पहुंच मार्ग, रैम्प निर्माण एवं स्थल का पर्यटन विकास का कार्य।	सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी	39.61	39.61
2	जनपद-गाजीपुर की तहसील जमानिया के अन्तर्गत् ग्राम गहमर के पूर्वोत्तर दिशा गंगा नदी के दांये तट पर सिद्धपीठ बाबा बुलाकी दास मठिया के सामने पहुंच मार्ग, पक्का रैम्प के निर्माण एवं स्थल का पर्यटन विकास का कार्य।	सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी	39.90	39.90
3	जनपद-चन्दौली में तहसील सकलडीहा के अन्तर्गत ग्राम कछवड में स्थित आनन्द सरोवर स्थल का पर्यटन विकास।	सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी	40.00	32.67
		योग	**119.51**	**112.18**

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

http://upsandesh.up.nic.in

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

3. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या-37/2016/506(1)/41-2016 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, वाराणसी ।
4- जिलाधिकारी, गाजीपुर/चन्दौली।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
9- मुख्य अभियन्ता, (सोन) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 वाराणसी।
10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://Sirsanadesh.up.nic.in